राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 951/2025

गिरधारी राम गोदारा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त मंत्रालय, सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव, वित्त विभाग (राजस्व), वित्त भवन, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव (प्रशासनिक), वित्त विभाग (राजस्व), वित्त भवन, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जालौर।
5. श्री भूपेन्द्र मकवाना, लेखाधिकारी, जिला कलेक्टर अधिकारी, सिरौही।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री देवेन्द्र कुमार, अधिवक्ता

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने 15.01.2025 के आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान कोष कार्यालय जालोर से जिला कलेक्टर कार्यालय सिरोही में स्थानांतरित किया गया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी को पहले लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था तथा प्रशिक्षण के पश्चात उसे बाड़मेर में अतिरिक्त कोषाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी को आदेश 30.09.2023 के तहत कोषाधिकारी, कोषालय, जालोर में स्थानांतरित किया गया था। (अनुलग्नक–3) प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के आदेश द्वारा स्थानांतरित कर दिया, जबकि वह विभाग में सबसे वरिष्ठ है और साथ ही उसे पदोन्नति भी मिलनी है, जो पिछले तीन वर्षों से अवैध रूप से रुकी हुई है। अपीलार्थी लंबे समय से प्रत्यर्थी विभाग को पत्र लिखकर अनुरोध कर रहा है। (अनुलग्नक–4) प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के माध्यम से अपीलार्थी को उसकी वर्तमान नियुक्ति के स्थान से जिला कलेक्टर कार्यालय, सिरोही में लेखा अधिकारी के पद पर स्थानांतरित कर दिया, जो अपीलार्थी की वर्तमान नियुक्ति के कैडर से नीचे है। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने सबसे पहले उसे उचित पदोन्नति नहीं दी और बाद में अपीलार्थी को उचित

पदोन्नति दिए बिना ही स्थानांतरित कर दिया। अपीलार्थी को कोषाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है और अब उसे लेखा अधिकारी के पद पर स्थानांतरित किया गया है, जो ग्रेड में निम्न है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात कोष कार्यालय, जालोर में कार्यरत रखा जावे।

हमने अपीलार्थी को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में कोष कार्यालय, जालोर में कोषाधिकारी के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण कोषाधिकारी, कोषालय, जालोर से लेखाधिकारी, जिला कलेक्टर कार्यालय, सिरोही में आलौच्य आदेश दिनाक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा कर दिया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण कोषाधिकारी जालौर से लेखाधिकारी जिला कलेक्टर कार्यालय सिरोही में किया गया है। अपीलार्थी का राजस्थान लेखा सेवा नियुक्ति के पश्चात आदेश दिनांक 26.10.2018 द्वारा अतिरिक्त कोषाधिकारी बाडमेर के पद पर पदस्थापन किया गया है। (अनुलग्नक–2) तत्पश्चात आदेश दिनांक 20.09.2023 द्वारा अपीलार्थी को कोषाधिकारी, कोषालय, जालौर के पद पर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने अपील में यह निवेदन किया है कि उसका पदस्थापन आलौच्य आदेश दिनांक द्वारा निम्न पद पर कर दिया गया है। जबकि पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो कि अपीलार्थी को वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी ने अपील में स्वीकार किया है कि वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद की पदोन्नति लंबित है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण उसके समकक्ष पद पर किया गया है, जिसमें हम किसी तरह की त्रुटि या दुर्भावना नहीं पाते है।

अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने के आधार पर खारिज की जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर निस्तारित किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)